(राजस्थान–सरकार)

प्रथम अपीलीय प्राधिकारी एवं अति0 जिला कलक्टर, बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारी दिवांशु शर्मा (आर.ए.एस.)
प्रथम अपील संख्या :– 03/2025
पंजीकरण संख्या :– 2025/11

बउनवान

श्री देवी सिंह पुत्र नेनकराम निवासी खेरखेडा तहसील छबडा जिला बारॉ (राज.)
(अपीलार्थी)

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, छबडा
(प्रत्यर्थी)

प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19 (1)

निर्णय दिनांक 28.03.2025

प्रस्तुत प्रथम अपील इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा दिनांक 10.01.2025 को लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, छबडा को अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6 (1) के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर खरीफ 2022 की आदान अनुदान फसल खराबा के मुआवजा वितरण संबंधित 18 बिन्दुओं की सूचना चाही गई थी। अपीलार्थी को उक्त सूचना उपलब्ध नहीं करवाने पर उसके द्वारा प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1) के तहत विरूद्व (प्रत्यर्थी) लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, छबडा के ऑन लाईन पेश कर निवेदन किया कि प्रथम आवेदन–पत्र में चाही गई सूचना उपलब्ध करावें।

इस पर प्रस्तुत प्रथम अपील को दिनांक 11.03.2025 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थी लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, छबडा को जरिये सम्मन क्रमांक 164–165 दिनांक 11.03.2025 से तलब कर, प्रस्तुत अपील मेमो की छायाप्रति भिजवाई जाकर जवाब तलब किया गया तथा अपीलार्थी को भी जरिये रजिस्टर्ड सम्मन क्रमांक 164–165 दिनांक 11.03.2025 से तलब किया गया।

अपीलार्थी बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहा है। लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, छबडा द्वारा उनके कार्यालय के पत्र क्रमांक/भू0अ0/2025/817 दिनांक 28.03.2025 से जवाब इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जो निम्नानुसार है :–

अपीलार्थी द्वारा वर्तमान मे खरीफ 2022 की आदान अनुदान की सूची व अन्य दस्तावेज अपील मे चाहे गये थे, जिला स्तरीय बिल पेण्डिग होने के कारण बिल की राशि व प्रस्तावित सूची जिला स्तरीय बिल [illegible] मे प्रार्थी की भूमि दो पटवार मण्डल मे होने के कारण 1. ग्राम बापचा 2. ग्राम [illegible] मे आवेदन करने के कारण आदान अनुदान की राशि जॉच हेतु लंबित थी [illegible] पटवार मण्डल के बिल संख्या 1025458 दिनांक 25.02.2025 राशि 2295/– रूपये व ग्राम कडैयाहाट के बिल नम्बर 1025457 दिनांक 25.02.2025 राशि 2125/– रूपये अपीलार्थी देवीसिंह पुत्र नेनकराम निवासी खेरखेडाभूरा पटवार मण्डल कडैयाहाट तहसील छबडा जिला बारॉ के बैंक खाता संख्या 61201979887 से प्राप्त हो चुकी है। अपीलार्थी वर्तमान मे सूचना के अधिकार के तहत प्रस्तुत आवेदन पत्र मे कोई प्रस्तावित व आलेखित दस्तावेज संबंधित सूचना नही चाहता है। जिसका प्रार्थना पत्र तहसील कार्यालय छबडा मे उपस्थित होकर स्वयं अपीलार्थी द्वारा पेश किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Divanshu Sharma
Date: 2025.07.22 15:36:30 IST
Reason: SelfAttested

अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय में अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा 19(1) के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील एवं लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार छबडा से प्राप्त जवाब का अवलोकन किया गया, जिससे पाया गया कि अपीलार्थी वर्तमान मे सूचना के अधिकार के तहत प्रस्तुत आवेदन पत्र मे कोई प्रस्तावित व आलेखित दस्तावेज संबंधित सूचना नही चाहता है। जिसका प्रार्थना पत्र तहसील कार्यालय छबडा मे उपस्थित होकर स्वयं अपीलार्थी द्वारा पेश किया गया है।

परिणामस्वरूप अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1) के तहत खारिज की जाती है। इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की सत्य प्रतिलिपि अपीलार्थी को एवं लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, छबडा जिला बारॉ को रजिस्टर्ड डाक से सूचनार्थ भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक **28.03.2025** को सरे ईजलास सुनाया गया।

(दिवांशु शर्मा)
अति0 जिला कलक्टर,
बारॉ

Signature Not Verified

Digitally signed by Divanshu Sharma
Date: 2025.07.22 15:36:30 IST
Reason: SelfAttested